सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी-अलवर
(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः-2021/450 दर्ज तिथिः-30.11.2021

1. राधाकिशन दत्तक पुत्र रेवड़मल जाति ब्राह्मण निवासी जैतपुर ब्राह्मणान् तन सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..............वादीगण

बनाम

1. देवीसहाय पुत्र सेढूराम
2. मुकेश पुत्र सेढूराम
3. महेन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल
4. गुलाराम उर्फ घनश्याम पुत्र ग्यारसीलाल

समस्त जातियान माली निवासी सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

...........असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः-
वादीः- श्री डी0पी दीक्षित।
प्रतिवादीः- अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-188
राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:निर्णयः-

निर्णय तिथिः- 21.07.2023

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा- 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 71/0.33 है0 वाके ग्राम जैतपुर ब्राह्मणान चला आ रहा है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की जाती है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। अन्त में निवेदन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:14:14 IST
Reason: SelfAttested

2. वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा–कार्यवाही अमल में लाई गयी। वाद–पत्र साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया गया एवं प्रकरण में बहस करने हेतु निवेदन किया गया।

3. वाद–पत्र में विद्वान अभिभाषक एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. मैंने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद–पत्र की पुष्टि में जमाबंदी संवत् 2075–2078 खसरा संख्या 71/0.33 है0 वाके ग्राम जैतपुर ब्राह्मणान के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है तथा वादी का यह कथन भी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

5. प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः–

1. ***स्वामित्व एवं कब्जाः–*** वाद पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2075–78 हाल आराजी खसरा संख्या 71/0.33 है0 वाके ग्राम जैतपुर ब्राह्मणान जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी आराजी साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।
2. ***सुविधा का संतुलनः–*** मुतनाजा आराजी पर वादी की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।

3. ***अपूरणीय क्षतिः–*** वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:14:14 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 71/0.33 है0 वाके ग्राम जैतपुर ब्राह्मणान *तहसील* थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:14:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2021/450 दर्ज तिथिः–30.11.2021

1. राधाकिशन दत्तक पुत्र रेवड़मल जाति ब्राह्मण निवासी जैतपुर ब्राह्मणान् तन सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..............वादीगण

बनाम

1. देवीसहाय पुत्र सेढ़ूराम
2. मुकेश पुत्र सेढ़ूराम
3. महेन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल
4. गुलाराम उर्फ घनश्याम पुत्र ग्यारसीलाल

समस्त जातियान माली निवासी सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

...........असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादीः– श्री डी0पी दीक्षित।
प्रतिवादीः– अनुपस्थित।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

:–पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत *स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर* 71/0.33 है0 वाके ग्राम जैतपुर ब्राह्मणान *तहसील* थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:14:14 IST
Reason: SelfAttested

आदेश प्रति संबंधित को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 21.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:14:14 IST
Reason: SelfAttested